



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271534  
CG-DL-E-02042026-271534

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(नौवहन महानिदेशालय, मुंबई)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 245(अ). – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौवहन महानिदेशालय और समुद्री वाणिज्य विभाग समूह 'क' (सामुद्रिक) पद भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ रेडियो सर्वेक्षक और रेडियो निरीक्षक के पदों से है; और पोत परिवहन मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और समुद्री वाणिज्य विभाग, समूह 'क' (सामुद्रिक) पद भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक सामुद्रिक विभाग में भारत सरकार के नॉटिकल सलाहकार-सह-अपर महानिदेशक (नॉटिकल), प्रधान अधिकारी (नॉटिकल)-सह-संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी), उप नॉटिकल सलाहकार-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी), नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-उप महानिदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ रेडियो सर्वेक्षक-सह-सहायक महानिदेशक और रेडियो निरीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और समुद्री वाणिज्य विभाग, नॉटिकल स्कंध, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका उनका स्तर वह होगा वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद / अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भारत सरकार के सामुद्रिक सलाहकार-सह-अपर नौवहन महानिदेशक (सामुद्रिक)	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (182200-224100₹)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की मामले में लागू होगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति:

प्रधान अधिकारी (नॉटिकल)-सह-संयुक्त नौवहन महानिदेशक (तकनीकी), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200 रु) के श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट वाणिज्य पोत परिवहन विधि और प्रशासन से संबंधित सुसंगत क्षेत्र में तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी—

(क)

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या  
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (144200-218200 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्—

(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट किए अनुसार विदेशगामी पोत के मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 50 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य;

(ii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्रीय कार्यकलापों में विज्ञान स्नात्कोत्तर (एम.एससी.), जिसमें वर्ल्ड मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, माल्मो, स्वीडन भी सम्मिलित है;

(iii) सेकंड मेट (विदेशगामी) का सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात डेक अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष की सेवा, जिसमें से एक वर्ष विदेशगामी पोत पर मास्टर के रूप में होना अनिवार्य है; तथा

(iv) भारत सरकार के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्लासीफिकेशन सोसाइटी के साथ, सर्वेक्षक के रूप में, विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों एवं उन पर स्थापित उपस्करों के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण का चौदह वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अट्ठावन (58) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से गठित होंगे: जिसमें- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - सदस्य; 3. नौवहन महानिदेशक - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रधान अधिकारी (सामुद्रिक)-सह-संयुक्त नौवहन महानिदेशक (तकनीकी)	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200 ₹)	चयन पद	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

(11)
प्रोन्नति:

ऐसे उप नॉटिकल सलाहकार-सह-वरिष्ठ उप नौवहन महानिदेशक (तकनीकी), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900₹) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वाणिज्य पोत परिवहन विधि एवं प्रशासन से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्र में तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण – जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी—

(क)

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13ए (131100-216600₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्—

(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट विदेशगामी पोत के मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 50 में विनिर्दिष्ट समकक्ष; तथा

(ii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्रीय कार्यकलापों में विज्ञान में मास्टर्स (एम.एससी.), जिसमें वर्ल्ड मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, माल्मो, स्वीडन भी सम्मिलित है;

(iii) सेकंड मेट (विदेशगामी) का सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात डेक अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष की सेवा, जिसमें से एक वर्ष विदेशगामी पोत पर मास्टर के रूप में होना अनिवार्य है; तथा

(iv) भारत सरकार के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्लासीफिकेशन सोसाइटी के साथ, सर्वेक्षक के रूप में, विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों एवं उन पर स्थापित उपस्करों के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण का बारह वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अट्ठावन (58) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – सदस्य; 3. नौवहन महानिदेशक – सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप सामुद्रिक सलाहकार-सह-वरिष्ठ उप नौवहन महानिदेशक (तकनीकी)	6* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100–215900₹)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>ऐसे नौवहन सर्वेक्षक-सह-उप नौवहन महानिदेशक (तकनीकी), जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800–209200₹) के ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ तथा निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों, अर्थात्—</p> <p>(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता का अतिरिक्त मास्टर प्रमाणपत्र, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्रीय कार्यकलापों में विज्ञान में मास्टर्स (एम.एस.सी.), जिसमें वर्ल्ड मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, माल्मो, स्वीडन भी सम्मिलित है; और</p> <p>(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वाणिज्य पोत परिवहन विधि और प्रशासन से संबंधित सुसंगत क्षेत्र में तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: उपर्युक्त जैसा विहित प्रोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय कार्यालय, फीडर ग्रेड पद पर कार्यरत पदधारकों को सुविधा प्रदान करेगा तथा उससे संबंधित व्यय वहन करेगा।</p> <p>टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी—

(क)

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या  
(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो, अर्थात्—

(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट विदेशगामी पोत के मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 50 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य;

(ii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्रीय कार्यकलापों में विज्ञान में मास्टर्स (एम.एस.सी.) डिग्री या उसके समतुल्य, जिसमें वर्ल्ड मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, माल्मो, स्वीडन भी सम्मिलित है;

(iii) सेकंड मेट (विदेशगामी) का सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात डेक अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष की सेवा, जिसमें से एक वर्ष विदेशगामी पोत पर मास्टर के रूप में होना अनिवार्य है; और

(iv) भारत सरकार के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्लासीफिकेशन सोसाइटी के साथ, सर्वेक्षक के रूप में, विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों एवं उन पर स्थापित उपस्करों के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण का आठ वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य किसी काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची, संबंधित ग्रेड या पद में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा पूर्ण किए जाने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष;</p> <p>2. नौवहन महानिदेशक – सदस्य;</p> <p>3. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव – सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं होगा।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सामुद्रिक-सह-उप नौवहन महानिदेशक (तकनीकी)	23* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200₹)	चयन पद	पचास वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित अनुसार होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) आवश्यक अर्हताएँ: (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट विदेशगामी पोत के मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 50 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य; तथा (ii) सेकंड मेट (विदेशगामी) का सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात डेक अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष की सेवा, जिसमें से एक वर्ष विदेशगामी पोत पर मास्टर के रूप में होना अनिवार्य है। (ख) वांछनीय अर्हताएँ: (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 50 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समुद्रीय कार्यकलापों में विज्ञान में मास्टर्स (एम.एससी.); तथा (iii) भारत सरकार के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्लासीफिकेशन सोसाइटी के साथ, सर्वेक्षक के रूप में, विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों के सर्वेक्षण, लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा</p>	<p>आयु: लागू नहीं होता।</p> <p>शैक्षणिक अर्हताएँ: जी हैं।</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए हेतु एक वर्ष। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रारंभिक (इंडक्शन) प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।</p>	<p>(i) 95%—सीधी भर्ती द्वारा; तथा (ii) 5%—प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा, तथा दोनों के न हो सकने पर पर सीधी भर्ती</p>

<p>आयोग की विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रकरण पर संघ लोग सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो।</p>			
---	--	--	--

(11)

**प्रोन्नति:**

वरिष्ठ रेडियो सर्वेक्षक-सह-सहायक नौवहन महानिदेशक के ऐसे वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700₹) के ग्रेड में जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्रों में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी—

**(क)**

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या  
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य किसी काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष;</p> <p>2. नौवहन महानिदेशक – सदस्य;</p> <p>3. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव – सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. नौवहन महानिदेशक – अध्यक्ष;</p> <p>2. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव – सदस्य;</p> <p>3. नौवहन महानिदेशालय के अपर महानिदेशक – सदस्य।</p>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक-सह-सहायक नौवहन महानिदेशक	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700–208700₹)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>रेडियो निरीक्षक के ऐसे, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100–177500₹) के ग्रेड में जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वाणिज्य पोत परिवहन विधि और प्रशासन से संबंधित सुसंगत क्षेत्र में तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी—

(क)

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों—

(i) आवश्यक अर्हताएँ:

(क) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट विदेशगामी पोत के मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र, या उक्त अधिनियम की धारा 50 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य; तथा

(ख) सेकंड मेट (विदेशगामी) का सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात डेक अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष की सेवा, जिसमें वैश्विक समुद्रीय संकट सुरक्षा प्रणाली (Global Maritime Distress Safety System) की जिम्मेदारियाँ सम्मिलित हों; या

(ग) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 46 यथा विनिर्दिष्ट विदेशगामी पोत के फर्स्ट मेट का सक्षमता प्रमाणपत्र, या धारा 50 में यथा विनिर्दिष्ट समकक्ष; तथा (घ) सेकंड मेट (विदेशगामी) का सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात डेक अधिकारी के रूप में सात वर्ष की सेवा, जिसमें वैश्विक समुद्रीय संकट सुरक्षा प्रणाली की जिम्मेदारियाँ सम्मिलित हों।

(ii) वांछनीय अर्हताएँ:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य किसी काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. नौवहन महानिदेशक – अध्यक्ष;</p> <p>2. नौवहन महानिदेशालय के अपर महानिदेशक – सदस्य;</p> <p>3. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में नौवहन महानिदेशालय के प्रशासन से संबंधित निदेशक – सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. रेडियो निरीक्षक	4* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500₹)	लागू नहीं होता	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) आवश्यक अर्हताएँ: (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 46 में यथा विनिर्दिष्ट विदेशगामी पोत के फर्स्ट मेट का सक्षमता प्रमाणपत्र, या उक्त अधिनियम की धारा 50 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य; (ii) विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों पर फर्स्ट मेट के रूप में एक वर्ष का समुद्रीय सेवा का अनुभव, जिसमें वैश्विक समुद्रीय संकट सुरक्षा प्रणाली (GMDSS) की जिम्मेदारियाँ सम्मिलित हो।</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हताएँ: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री; (ii) नौवहन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में, GMDSS, राडार ऑब्ज़र्वर कोर्स (ROC), ऑटोमैटिक राडार प्लॉटिंग एंड्स (ARPA) या इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले और सूचना प्रणाली (ECDIS) पाठ्यक्रम पढ़ाने का तीन वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग की विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रकरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों।</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित, परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अवधि कम से कम दो सप्ताह की प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा-  टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो— (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों;  (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)
लागू नहीं होता।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. नौवहन महानिदेशक – अध्यक्ष; 2. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में पोत परिवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव – सदस्य; 3. नौवहन महानिदेशालय के अपर महानिदेशक – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा. सं. एसवाई-11016/14/2024-एमए-भाग (2) (377976)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS  
(Directorate General of Shipping, Mumbai )**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026.

**G.S.R.(E). 245.--** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Departments Group 'A' (Nautical) Posts Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the posts of Senior Radio Surveyor and Radio Inspector; and the Ministry of Shipping, Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department, Group 'A' (Nautical) Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Nautical Adviser to the Government of India-cum-Additional Director General (Nautical), Principal Officer (Nautical)-cum-Joint Director General (Technical), Deputy Nautical Adviser-cum-Senior Deputy Director General (Technical), Nautical Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical), Senior Radio Surveyor-cum-Assistant Director General and Radio Inspector in the Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department, Nautical Wing, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nautical Adviser to the Government of India-cum-Additional Director General (Nautical).	1*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-15 in the pay matrix (Rs.182200-224100).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Promotion:

Principal Officer (Nautical)-cum-Joint Director General (Technical) in level-14 in the pay matrix (Rs.144200- 218200) with three years regular service in the grade and having successfully completed three weeks mandatory training in the relevant area related to Merchant Shipping Law and Administration as specified by the competent authority.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,-

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with three years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-14 in the pay matrix (Rs.144200 - 218200) or equivalent in the parent cadre or department; and  
(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) certificate of competency as master of a foreign going ship as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or equivalent as specified in section 50 of the said Act;

(ii) extra master's certificate of competency as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or Master of Science (M.Sc.) degree in Maritime Affairs from a recognised University including World Maritime University, Malmo, Sweden;

(iii) five years service as Deck Officer, after obtaining the certificate of competency of second mate (foreign going), of which one year must have been in capacity of a master's on a foreign going ship; and

(iv) fourteen years of experience in survey and inspection of foreign going merchant ships and equipments on board such ships, as a surveyor, with the Government of India or with a classification society recognised by the Government of India.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member; 3. Director General of Shipping – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making appointment on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Principal Officer (Nautical)-cum-Joint Director General (Technical).	2*(2026)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

(11)
<p>Promotion:</p> <p>Deputy Nautical Advisor-cum-Senior Deputy Director General (Technical) in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) with three years regular service in the grade and having successfully completed three weeks mandatory training in the relevant area related to Merchant Shipping Law and Administration as specified by the competent authority.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) with two years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or  (iii) with three years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) certificate of competency as master of a foreign going ship as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or equivalent as specified in section 50 of the said Act; and</p> <p>(ii) extra master's certificate of competency as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or Master of Science (M.Sc.) degree in Maritime Affairs from a recognised University including World Maritime University, Malmo, Sweden;</p> <p>(iii) five years service as Deck Officer, after obtaining the certificate of competency of second mate (foreign going), of which one year must have been in capacity of a master on a foreign going ship; and</p> <p>(iv) twelve years of experience in survey and inspection of foreign going merchant ships and equipments on board such ships, as a surveyor, with the Government of India or with a classification society recognised by the Government of India.</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-eight years, as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman;</li> <li>2. Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member;</li> <li>3. Director General of Shipping – Member.</li> </ol>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Nautical Adviser-cum-Senior Deputy Director General (Technical).	6*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 13 in the pay matrix (Rs. 123100 - 215900).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

(11)
<p>Promotion:</p> <p>Nautical Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical) in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years regular service in the grade and possessing the following educational qualifications, namely:-</p> <p>(i) extra master's certificate of competency as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or Master of Science (M.Sc.) degree in Maritime Affairs from a recognised University including World Maritime University, Malmo, Sweden; and</p> <p>(ii) having successfully completed three weeks mandatory training in the relevant area related to Merchant Shipping Law and Administration as specified by the competent authority.</p> <p>Note 1 : For acquiring educational qualifications as prescribed above for promotion, the Office of the Directorate General of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways shall bear the cost and facilitate the incumbents in the feeder grade post.</p> <p>Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p>

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,-

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) certificate of competency as master of a foreign going ship as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or equivalent as specified in section 50 of the said Act;

(ii) extra master's certificate of competency as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or Master of Science (M.Sc.) degree in Maritime Affairs or its equivalent from a recognised University including World Maritime University, Malmo, Sweden;

(iii) five years service as Deck officer, after obtaining the certificate of competency of second mate (Foreign Going), of which one year must have been in capacity of a master's on a foreign going ship; and

(iv) eight years of experience in survey and inspection of foreign going merchant ships and equipments on board such ships, as a surveyor, with the Government of India or with a classification society recognised by the Government of India.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman;</li> <li>2. Director General of Shipping – Member;</li> <li>3. Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member.</li> </ol>	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Nautical Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical).	23*(2026)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.	Not exceeding fifty years of age.  (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) Essential qualifications:</p> <p>(i) Certificate of competency as master's of a foreign going ship as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or equivalent as specified in section 50 of the said Act; and</p> <p>(ii) five years service as Deck Officer, after obtaining the certificate of competency of second mate (foreign going), out of which one year must have been in capacity of a master's on a foreign going ship.</p> <p>(b) Desirable qualifications:</p> <p>(i) Extra master's certificate of competency as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or equivalent as specified in section 50 of the said Act; or</p> <p>(ii) Master of Science (M.Sc.) degree in the Maritime Affairs from a recognised University or institute; and</p> <p>(iii) one year experience in survey, audit and inspection of foreign going merchant ships, as a surveyor, with the Government of India or with a</p>	<p>Age: Not applicable.</p> <p>Educational qualifications. Yes.</p>	<p>One year for direct recruits.</p> <p>Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>(i) Ninety-five percent. by direct recruitment; and</p> <p>(ii) five percent. by promotion, failing which by deputation (including short-term contract), failing both by direct recruitment.</p>

<p>classification society recognised by the Government of India.</p> <p>Note 1 : The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
---	--	--	--

(11)

**Promotion:**

Senior Radio Surveyor- cum-Assistant Director General in level-11 in the pay matrix (Rs.67700 - 208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the relevant areas as specified by the competent authority.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (including short-term contract):**

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution, -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level -11 in the pay matrix (Rs.67700 – 208700) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in

the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman;</li> <li>2. Director General of Shipping – Member;</li> <li>3. Joint Secretary, In-charge of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member.</li> </ol> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General of Shipping – Chairman;</li> <li>2. Joint Secretary, In-charge of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member;</li> <li>3. Additional Director General of the Directorate General of Shipping – Member.</li> </ol>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Senior Radio Surveyor-cum-Assistant Director General.	2*(2026)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 11 in the pay matrix (Rs.67700 – 208700).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

(11)
<p>Promotion:</p> <p>Radio Inspector in level-10 in the pay matrix (Rs.56100 – 177500) with five years of regular service in the grade and having successfully completed three weeks mandatory training in the relevant area related to Merchant Shipping Law and Administration as specified by the competent authority.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p>

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution; -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years regular service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100 – 177500) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) Essential:

(A) certificate of competency as master of a foreign going ship as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or equivalent as specified in section 50 of the said Act; and

(B) five years service as Deck Officer, after obtaining the certificate of competency of second mate (foreign going) with Global Maritime Distress Safety System duties; or

(C) certificate of competency as first mate of a foreign going ship as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or equivalent as specified in section 50 of the said Act; and

(D) seven years service as Deck Officer, after obtaining the certificate of competency of Second mate (foreign going) with Global Maritime Distress Safety System duties.

(ii) Desirable:

Bachelor's degree in Electronics and Telecommunication Engineering or Electronics and Communication Engineering from recognised University or institute.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General of Shipping - Chairman;</li> <li>2. Additional Director General of the Directorate General of Shipping – Member;</li> <li>3. Director dealing with administration of the Directorate General of Shipping in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Member.</li> </ol>	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Radio Inspector.	4*(2026)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Not applicable.	Not exceeding thirty five years of age.  (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) Essential qualifications:</p> <p>(i) certificate of competency as first mate of a foreign going ship as specified in section 46 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or equivalent as specified in section 50 of the said Act; and</p> <p>(ii) one year sea service in the capacity of the first mate on board foreign going merchant ships with Global Maritime Distress Safety System duties.</p> <p>(b) Desirable qualifications:</p> <p>(i) Degree in Electronics and Telecommunication Engineering or Electronics and Communication Engineering from recognised University; and</p> <p>(ii) Three years of experience in teaching Global Maritime</p>	Not applicable.	<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation, as prescribed by the Central Government.</p>	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, –</p> <p>(a) holding analogous posts on a regular basis; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience as prescribed for the</p>

<p>Distress Safety System (GMDSS), Radar Observer Course (ROC) or Automatic Radar Plotting Aids (ARPA), Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) course in Directorate General of Shipping recognised institutes.</p> <p>Note 1 : The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			<p>direct recruits under column (7).</p>
---	--	--	--

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General of Shipping – Chairman;</li> <li>2. Joint Secretary, In-charge of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member;</li> <li>3. Additional Director General of the Directorate General of Shipping – Member.</li> </ol>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.</p>

[F. No. SY-11016/14/2024-MA-Part (2) (377976)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.